

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5626

(दिनांक 26.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

दूरदर्शन और आकाशवाणी का पुनरुद्धार

5626. श्री राहुल रमेश शेवले:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में निजी टेलीविजन चैनलों और रेडियो स्टेशनों के साथ प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु दूरदर्शन और आकाशवाणी के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/ कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;
- (ख) क्या गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार ने पर्याप्त राशि प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

- (ग) उक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी को कितना लाभ/कितनी हानि हुई है; और
- (घ) देश में निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों में समकक्ष आने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) एवं (ख): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए समय-समय पर स्कीमों का निरूपण और कार्यान्वयन किया गया है। आधुनिकीकरण की योजना का दायरा व्यापक है जिसमें अन्य के साथ-साथ डिजिटलीकरण; अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य नई प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण; पुराने/अप्रचलित उपकरणों का प्रतिस्थापन तथा स्तरोन्नयन आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की अवसंरचना/उनके कार्यक्रमों के सुदृढीकरण/पुनरुद्धार हेतु वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 की अवधि के लिए प्रसार भारती की “प्रसारण अवसंरचना तथा नेटवर्क विकास” नामक स्कीम के अंतर्गत 1054.52 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन किया है।

(ग): लेखापरीक्षा वार्षिक लेखा के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्रसार भारती द्वारा अर्जित अधिशेष राशि/उसे हुए घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राशि करोड़ रु. में

| | |
|------------------|------------------|
| 2016-17 | 2572.80 (अधिशेष) |
| 2017-18 | 295.79 (घाटा) |
| 2018-19 (अनंतिम) | 13.97 (अधिशेष) |

(घ): लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती का अधिदेश लोक हित के मुद्दों नामतः स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय आदि है, इस प्रकार दूरदर्शन और से संबंधित आकाशवाणी के कार्यक्रमों की अन्य प्राइवेट चैनलों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों अपने लक्ष्यों और कार्यक्रम फॉर्मेटों में पूर्णतया भिन्न हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी का यह सतत प्रयास रहता है कि वे अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाएं।

दूरदर्शन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं के प्रतिबिम्ब के रूप में यह उल्लेख किया जाता है कि प्रसारण दर्शकगण अनुसंधान परिषद (बार्क) की रेटिंग्स के अनुसार “डीडी इंडिया” चैनल अंग्रेजी के शीर्ष 3 समाचारों चैनलों में से एक है। इसी प्रकार, “डीडी स्पोर्ट्स” चैनल राष्ट्रीय महत्व के खेलकूद आयोजनों का सीधा प्रसारण करने वाले शीर्ष 5 खेलकूद चैनलों में से एक है।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रसार भारती के पास देशभर में आकाशवाणी के 46 श्रोतागण अनुसंधान एककों वाला एक व्यापक नेटवर्क है, जो लक्षित श्रोताओं की आवश्यकताओं, रुचि एवं आंकाक्षा के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने, उनकी अभिकल्पना करने तथा उनमें आशोधन करने के लिए कार्यक्रम निर्माताओं को प्रत्येक आकाशवाणी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों का नियमित रूप से फीडबैक मुहैया कराता है।
